



दिनांक 04.09.2023

प्रेस विज्ञप्ति 05 / 2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विकशन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय-समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विकशन कार्य योजना के तहत उ०प्र० पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा० न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

➤ जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/393 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश उर्फ बबलू को आजीवन कारावास व 01 लाख 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद औरैया/थाना फफूंद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना फफूंद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त श्याम सिंह को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद आजमगढ़/थाना देवगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना देवगांव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नीबूलाल को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- कमिश्नरेट आगरा/थाना फतेहपुर सीकरी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रुपये अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय कमिश्नरेट आगरा द्वारा थाना फतेहपुर सीकरी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पाँक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद फिरोजाबाद/थाना मक्खनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 28 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना मक्खनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त बच्चा उर्फ जयराम को 10 वर्ष के कारावास व 28 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद मीरजापुर/थाना अदलहाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मीरजापुर द्वारा थाना अदलहाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1-महफूज उर्फ शेरू 2-मुस्लिम उर्फ भोला एवं दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।



कमिश्नरेट आगरा/थाना मलपुरा

- पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस

- 01 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक 03.09.2023 को थाना मलपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जखौदा पुल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुरजीत घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मलपुरा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मलपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-सुरजीत निवासी ग्राम बाद थाना मलपुरा कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

2-01 मोटर साइकिल।

जनपद फतेहगढ़/थाना कादरीगेट

- 25 हजार रूपये व 15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 03.09.2023 को थाना कादरीगेट व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर टिकुरियन नगला जाने वाली सड़क सेण्ट्रल जेल के पीछे वाली दीवार के पास से पुरस्कार घोषित 02 अभियुक्तों 1-आशीष प्रताप 2-अमित को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कादरीगेट पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिसमें जनपद स्तर से अभियुक्त 1-आशीष प्रताप उर्फ सचिन की गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रूपये व अभियुक्त 2-अमित की गिरफ्तारी हेतु 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त आशीष प्रताप उर्फ सचिन के विरुद्ध जनपद फतेहगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-आशीष प्रताप उर्फ सचिन निवासी चिलसरा थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़
हालपता-नरायनपुर थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।
- 2-अमित निवासी भूवनपुर ताजपुर थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

कमिश्नरेट आगरा/थाना एत्मादपुर

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूटे गये 09 हजार 430 रूपये नगद
- 01 मोबाइल फोन
- चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद

दिनांक: 03.09.2023 को थाना एत्मादपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एत्मादपुर रेलवे फाटक के पास से 02 अभियुक्तों 1- बिशू उर्फ विक्की 2- विशाल उर्फ

आशीष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 09 हजार 430 रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन, चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना एत्मादपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना एत्मादपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये व मोटर साइकिल चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना एत्मादपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—बिशू उर्फ विक्की निवासी मांगेराम पार्क रोहिणी, दिल्ली।
- 2—विशाल उर्फ आशीष निवासी बुद्ध बिहार रोहिणी, दिल्ली।

बरामदगी

- 1—लूटे गये 09 हजार 430 रुपये नगद।
- 2—01 मोबाइल फोन।
- 3—चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना कोतवाली

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 74 हजार रूपये नगद
- 05 मोबाइल फोन
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 04.09.2023 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कोल बाजबहादुर से 03 अभियुक्तों 1—इन्द्रेश 2—रामप्यारे 3—जुल्मी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 74 हजार रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त इन्द्रेण के विरुद्ध जनपद अयोध्या, बस्ती, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़ के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 12 अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—इन्द्रेण निवासी गोहनापुर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।
- 2—रामप्यारे निवासी रामनगर महुअर थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर।
- 3—जुल्मी निवासी असाधरपट्टी थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

- 1—चोरी के 74 हजार रूपये नगद।
- 2—05 मोबाइल फोन।
- 3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मीरजापुर/थाना अहरौरा

- 06 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 11 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 04.09.2023 को थाना अहरौरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 06 अभियुक्तों 1—दिवाकर 2—लालू 3—प्रज्ज्वल 4—जितेन्द्र कुमार 5—राहुल उर्फ राकेश 6—सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आसपास के जनपदों से मोटर साइकिल चोरी कर उसकी नम्बर प्लेट बदलकर ग्राहक मिलने पर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—दिवाकर निवासी खासडीह थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।
- 2—लालू निवासी अहरौरा डीह थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।
- 3—प्रज्ज्वल निवासी जुड़ई थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।
- 4—जितेन्द्र कुमार निवासी लोहरा थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।
- 5—राहुल उर्फ राकेश निवासी भदावल थाना जमालपुर जनपद मीरजापुर।
- 6—सोनू निवासी सरीया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

- 1—चोरी की 11 मोटर साइकिल।
- 2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सोनभद्र / थाना करमा

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 25 लाख रुपये कीमत के 225 ग्राम अवैध हेरोइन
- 90 हजार रुपये नगद
- 02 मोटर साइकिल बरामद

दिनांक: 03.09.2023 को थाना करमा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गनेशपुर तिराहा से 03 अभियुक्तों 1—श्याम बाबू 2—गोलू उर्फ संजय 3—सिद्धार्थ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रुपये कीमत के 225 ग्राम अवैध हेरोइन, 90 हजार रुपये नगद, 02 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना करमा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—श्याम बाबू निवासी ग्राम भीटी थाना राजगढ़ जनपद मीरजापुर।
- 2—गोलू उर्फ संजय निवासी विसुन्धरपुर थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर।
- 3—सिद्धार्थ निवासी शाहपुर चौसा थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

- 1—लगभग 25 लाख रुपये कीमत के 225 ग्राम अवैध हेरोइन।
- 2—90 हजार रुपये नगद।
- 3—02 मोटर साइकिल।
